



भूमि सुधार उपसमाहत्ता का न्यायालय घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम।

(आदेश फलक)

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा- 71(ए) के अन्तर्गत

भू-वापसी वाद संख्या- 07/2019-20

श्री प्रदिप्तो हाँसदा, पिता- श्री चैतन हाँसदा वादी।

— बनाम —

1) प्रबंधक, एच०सी०एल०/आई०सी०सी०, लिमिटेड मज्जभण्डार, घाटशिला प्रतिवादी।
 2) कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, जमशेदपुर प्रतिवादी।

की गयी
कार्रवाई

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

24.01.25

आवेदक श्री प्रदिप्तो हाँसदा, पिता- श्री चैतन हाँसदा, ग्राम- कुतलुडीह, (मज्जभण्डार), थाना- घाटशिला, जिला- पूर्वी सिंहभूम की ओर से अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के तहत विहित आवेदन पत्र दाखिल करते हुए भू-वापसी का अनुरोध किया गया। प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में अंचल अधिकारी, घाटशिला से विहित आवेदन के आधार पर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी।

जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, घाटशिला के पत्रांक- 635, दिनांक- 09.08.2019 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, घाटशिला से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार सन्निहित भूमि का विवरणी निम्न प्रकार है :-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा (एकड़ में)
मज्जभण्डार	86	86	440	0.11 ए०

उक्त प्रतिवेदन के आधार पर यह वाद प्रारंभ करते हुए छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 71(ए) के तहत (प्रथम पक्ष) आवेदक श्री प्रदिप्तो हाँसदा, पिता- श्री चैतन हाँसदा, ग्राम- कुतलुडीह, (मज्जभण्डार), थाना- घाटशिला, जिला- पूर्वी सिंहभूम एवं प्रतिवादी 01. प्रबंधक, एच०सी०एल०/आई०सी०सी०, लिमिटेड मज्जभण्डार, घाटशिला एवं 02. कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, जमशेदपुर को अपना-अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

जिसके आलोक में उभय पक्ष की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दाखिल करते हुए अपना-अपना पक्ष रखा गया। दिनांक- 13.11.2021 को प्रथम पक्ष की ओर से Written Argument एवं दिनांक- 04.09.2021 को Show Cause दाखिल की गयी तथा द्वितीय पक्ष की ओर से दिनांक- Show Cause/Written Argument दाखिल की गयी।

अंचल अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन :-

अंचल अधिकारी, घाटशिला के पत्रांक- 635, दिनांक- 09.08.2019 के माध्यम से भू-वापसी की कार्रवाई की अनुशंसा के साथ जाँच प्रतिवेदन समर्पित की गयी है प्राप्त प्रतिवेदनानुसार :-

Muf

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा
मऊभण्डार	86	86	440	0.11 ए०

- खतियानी रैयत का नाम :- शाम हाँसदा, पिता- रघु हाँसदा, जाति- संथाल, निवासी निजग्राम।
- पंजी के रैयत के नाम :- शाम हाँसदा, पिता- रघु हाँसदा, जाति- संथाल, निवासी निजग्राम।
- अभी किसका दखल है :- 01. एच०सी०एल०/आई०सी०सी०, लिमिटेड एवं 02. पी.डब्लू.डी. विभाग जमशेदपुर।
- दखल की अवधि :- 1968 से।
- हस्तान्तरण वैधिक है :- नहीं।
- क्या जमीन पर कोई मकान है। यदि है तो किस वर्ष से एवं उसका अनुमानित मूल्य क्या है :- नहीं।
- कर्मचारी की अनुशंसा :- आवेदित भूमि पंजी-॥/खतियानी रैयत शाम हाँसदा, पिता- रघु हाँसदा आवेदक के पितामाह है। आवेदक के द्वारा भू-वापसी हेतु आवेदन दिया है, जिसमें उल्लेखित भूमि में से 0.11 ए० भूमि सड़क में शामिल है। इस कार्यालय से पत्राचार किये जाने पर एच०सी०एल० द्वारा पूर्व रैयत एवं कम्पनी के बीच एकरारनामे की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें एच०सी०एल० द्वारा उक्त भूमि के पार्ट प्लॉट पर एकरारनामे के तहत मुआवजे, कुछ मामलों में रोजगार देने की बात कही गयी है। इस संबंध में कार्यालय के पत्रांक- 833/रा० दिनांक- 01.12.2018 के आलोक में पी०डब्लू०डी० विभाग जमशेदपुर से सड़क उपयोग किये जा रहे भूमि से संबंधित कागजात की माँग की गयी थी, जो कार्यालय को अप्राप्त है। आवेदक के द्वारा तथा स्थानीय जाँच से भी स्पष्ट है कि 1968-69 से उस पर सड़क है, जिस पर यातायात सुगमता से हो रहा है। उपलब्ध साक्ष्यों तथा दस्तावेजों के आधार पर जाँच प्रतिवेदन अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- अंचल निरीक्षक की अनुशंसा :- एच०सी०एल०/आई०सी०सी० कम्पनी एवं पूर्व रैयत के बीच Agreement दस्तावेज संलग्न है। अंचल अमीन द्वारा इस नक्शा प्रतिवेदन में उक्त भूमि पर सार्वजनिक कार्य हेतु सड़क निर्मित है, जो चालू स्थिति में पाया गया, उक्त भूमि हेतु भू-अर्जन अधिनियम अन्तर्गत कार्रवाई नहीं किया गया है। उपलब्ध दस्तावेजों के एवं जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- अंचल अधिकारी की अनुशंसा :- हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक तथा अंचल अमीन के द्वारा राजस्व अभिलेखों स्थानीय जाँच, ट्रेस नक्शा के आधार पर उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदित भूमि पर वर्तमान में खतियानी रैयत/पंजी।। रैयत के नाम से जमाबंदी चल रही है तथा आवेदित भूमि पर सड़क निर्मित है, जिसका उपयोग आवागमन के लिये आम लोगों द्वारा किया जाता है तथा वाहनों का भी परिचालन सुगमता से होता है। आवेदनकर्ता तथा हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन में उल्लेखित भूमि पर 1968 से एच.सी.एल/आई.सी.सी. लिमिटेड तथा PWD का दखल है तथा वर्तमान में उक्त पथ का संचालन, PWD के RCD (Road Construction Department) द्वारा किया जा रहा है। अंचल कार्यालय के पत्राचार किये जाने पर HCL प्रबंधन द्वारा अपने पत्र के माध्यम से अनुलग्नक के रूप में दस्तावेजों की छाया प्रति उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें रैयतों के साथ किया गया एकरारनामा, भू-धारियों की सूची, मुआवजे का भुगतान तथा कुछ मामलों में रोजगार उपलब्ध कराये जाने की बात कही गयी है। इसी संदर्भ में अंचल कार्यालय, घाटशिला द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, घाटशिला के पत्रांक 833/रा. दिनांक 01.12.2018 के आलोक में PWD विभाग से पत्राचार

Muf

किया गया, जिसमें किसी प्रकार का उत्तर अप्राप्त है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जांच प्रतिवेदन अग्रेतर कार्रवाई हेतु सादर समर्पित।

आवेदक की ओर से दिनांक- 13.11.2021 को **Written Argument** दाखिल की गयी :-

1. That initially Present Case was instituted on the Application of the Applicant Pradipto Hansda, against the M/s. H.C.L./I.C.C. Ltd, Moubhandar and P.W.D. East Singhbhum, Jamshedpur for restoration of possession of the land U/s. 71-A, C.N.T. Act. Measuring an area 0.11 Acres of Mouza- Moubhandar, R.S.Thana No. 86, and Khata No. 86, and Plot No. 440, is recorded in the Name of their predecessor Shyam Hansda in 1964 Survey Settlement.
2. That the C.O. Ghatsila submitted his enquiry report on 08.08.2019 that the Land in question is the Tribal Land and was recorded in the name of Shyam Hansda predecessors of the Applicant they are pay the rent State of Jharkhand and Opposite Parties M/s.H.C.L./I.C.C. Ltd. Moubhandar has also filed his Show Cause in this Case on 08.11.2019.
3. That the Proper appreciation of the case. The pleading of the Applicant & Opposite Parties as under;-

That the case of the Applicant in brief is that the Proceeding land is his ancestral raiyati land and was recorded in the name of his grandfather Shyam Hansda jointly in 1964 Survey Settlement.

That further case of the Applicant in brief is that he is the member of SANTHAL SCHEDULE TRIBES" and the OPPOSITE PARTIES has been possession of his ancestral raiyati land by fraudulent and deceitful means 1970 in utter violation of Section 46 C.N.T. Act. And accordingly Applicant has prayed for restoration of possession of the Proceeding land U/s. 71-A, C.N.T. Act.

That on the other hand the case of both the Opposite Parties are notice in brief is that the Proceeding Land was acquired by the Opposite Party No. 1. M/s.. H.C.L./I.C.C. Ltd. Moubhandar by virtue of an Agreement of the Predecessors of the Applicant in the year of 1968 and the same land was transferred in favour of the Opposite Party No.2. P.W.D. East Singhbhum, Jamshedpur.

That further case of the Opposite Party in brief is that he was in possession of the Proceeding land by virtue of Agreement of applicant predecessors and he gets money and service of the applicant predecessors in the Company and the Applicant was no right to claim for restoration of possession of his raiyati land and the same rejection of applicant application.

4. That now the mute question for consideration in the case are;-
 - a) Whether the land in question is raiyati ancestral land of the Applicant, he is member of SANTHAL Schedule Tribes?
 - b) Whether the Opposite Parties are in possession of the land in question in contravention of Section 46 C.N.T. Act. or any competent Act.?
 - c) Whether the Applicant is entitled to restoration of possession of the land in question?

Mup

5. That the Applicant has claimed in the case that the land in question is the raiyati ancestral land previously belonged to his Grandfather Shyam Hansda.

6. That the C.O. Ghatsila, in his enquiry report which is submitted by him in this case on 08.08.2019 has admitted that the Raiyat's of the land in question was recorded in the name of Shyam Hansda in 1964 Survey Settlement.

7. That the further Opposite Party No.1 M/s. H.C.L/I.C.C. Ltd, Moubhandar in its so called show cause filed on dated 02.03.2020 has been admitted in Para 4 that the land in question was acquired from predecessors of applicant of an Agreement which is conveyance on dated 06.03.1968 without obtaining legally permission from local authority and the land in question has been Possession in to the Opposite Party No.2, P.W.D. East Singhbhum, Jamshedpur. Now the question for the consideration is that;

- Whether the proceeding land was legally acquired by the Opposite No. 1, of the Predecessors of the Applicant in contravention of section 46 or under any provision of C.N.T Act or other Act. Including fraudulent method and deceitful means?
- Whether the proceeding land was acquired by the State with land equation Act, or any competent Act. In favour of the Opposite Party No.2 is in possession in the proceeding land?

8. That there is no iota of evidence that the proceeding lands were legally acquired by the M/s. H.C.L/ I.C.C. Ltd Moubhandar under C.N.T. Act., Land Acquisition Act.. or any competent act.

9. That there is no iota of evidence that the Proceeding land were legally acquired by P.W.D. East Singhbhum, Jamshedpur.

10. That the Opposite Party filed some documents and filing his show cause that he was acquired by the land from predecessors of the Applicant but the all the documents are null and void because he had not legally acquired by the Land and he taken self-made conveyance agreement of the Predecessors of the Applicant he is belong to Santhal Schedule Tribe which is violation of section 46 C.N.T. Act.

11. That the Revenue Record in 1964 surveys and Settlement the land is recorded in the names of Shyam Hansda, S/o- Raghunath Hansda, and the C.O Ghatsila submit his report on 08.08.2019 in this Court that presently land where recorded in annexure-II, in the Predecessors of the Applicant and he was regularly paying rent to the State of Jharkhand.

12. That above facts and proposition of law, it is crystal clear that the proceeding land is ancestral raiyati land of the Applicant and recently recorded in the name of his grandfather's Shyam Hansda and the Opposite Parties H.C.L/I.C.C. Moubhandar and P.W.D. East Singhbhum, Jamshedpur is illegal possession of the same in contravention of Section 46 C.N.T. Act. Since 1968 and as such the Applicant is entitled to restoration of possession of the Proceeding land U/s. 71-A C.N.T. Act.

Nup

आवेदक की ओर से पुनः दिनांक- 04.09.2021 को Show Cause दाखिल की गयी :-

1. That the show cause filed by the Opposite Party M/s. H.C.L/I.C.C. Ltd, Moubhandar and others are not maintainable either on the point of law or in facts.
2. That the statements and averments made in their so-called show cause are false and concocted made with some ulterior motive to defeat the justice for the purpose the wrongful gain and as such it is liable to be rejected.
3. That the answer of the averment in Para-1 of the show cause of the Opposite Party M/s. H.C.L /I.C.C. Ltd., Moubhandar & others the answering the Applicant submit that the land in question which restoration of possession is sought is the Tribal raiyati land and it was never legally acquired or purchased by the Opposite Party No.1 M/s. H.C.L/I.C.C. Ltd. Moubhandar.
4. That the land in question is situated in mouza Moubhandar, vide R.S. Thana No.86 Khata No. 86, Plot No. 440 is recorded in the name of the Applicant's Predecessor Shyam Hansda, S/o- Raghu Hansda in the years of 1964 survey settlement and applicant was regularly pay the rent of the State of Jharkhand and it is also supported by the C.O. Ghatsila in his enquiry report which is submitted by this Hon'ble court on 08.08.2019.
5. That the Opposite Party No.1 filed some documents that the land in question was acquiring by the conveyance of an agreement between the predecessor of the applicant's and he will paid the compensation amount of the land in question but the answering of the Applicant is that the conveyance of an Agreement between the parties are not be obtained permission U/s. 46 or Sec.49 CNT Act of the Competent Authority so the Simple plain paper agreement are null and void and it does not affect the Applicant's right, title, interest and possession over the proceeding land and the Opposite party was not produce any chit of paper that the said Agreement was Legally valid and he was Legally acquired his raiyati land to the C. N. T. Act, Land Acquisition Act. Or any others Competent Acts, without obtaining permission of the Competent authority and the Opposite Party No.1, has also given to the Opposite No.2 P.W.D. Jamshedpur is also null and void and as such the C.O. Ghatsila submits his inquiry report that the land was recorded in the name of applicant predecessor in the Revenue Records and was continually pay the rent of the State of Jharkhand but the influence of the O.P. No.1, he also submit that the Applicant Predecessor is an employee under the compensation ground which is benefit the O.P. No.1.
6. That the Crystal clear that the land in question is the raiyati land of the Applicant which is belong to Santhal Schedule Tribe and he was regularly pay the rent of the State of Jharkhand and he filed his Khatiyan, rent receipt, and Genealogical table that the land in question was recorded in the name of Shyam Hansda the predecessor of the applicant and it is also supported of the C.O. Ghatsila in his enquiry report.
7. That the above facts and circumstances as stated above that the show causes filed by the Opposite parties are misconceived in this Hon'ble Court and it

Ms

does not help to reject the applicant's application and as such the show causes filed by the Opposite parties are liable to rejected.

प्रतिवादी संख्या- 01. प्रबंधक, एच०सी०एल० / आई०सी०सी०, लिमिटेड मऊभण्डार, घाटशिला की ओर से दिनांक- 06.11.2019 को एक प्रतिवेदन दाखिल की गयी :-

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड / इण्डियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, ग्राम मऊभण्डार, घाटशिला में स्थित है यह भूमि राज्य सरकार को अधिकृत कर कम्पनी को प्रदान कि गई थी। कम्पनी को यह जमीन तांबा उद्योग, तांबा परिष्करण और उत्पादन के लिए और इससे जुड़े अन्य सुविधाओं के लिए प्रदान कि गई थी। कम्पनी के इस भू-भाग पर काफी बड़ी मात्रा में जनसंख्या निवास करती है।

कम्पनी के दक्षिणी छोर पर स्वर्णरेखा नदी बहती है। पूर्वी छोर का भू-भाग, एक मात्र सड़क जो हाथीजोबड़ा से घाटशिला की ओर जाती है वह रेलवे की भूमि पर स्थित है, कम्पनी के उत्तरी भाग पर दक्षिण पूर्व रेलवे लाईन की परिधि से घिरा हुआ है।

एच०सी०एल० कम्पनी के उत्तरी भाग में रेलवे लाईन के बाद राष्ट्रीय उच्च पथ 18 से सम्पर्क करने के लिए एक सम्पर्क पथ की आवश्यकता थी। जिससे कि इस भू-भाग पर स्थित औद्योगिक सामानों को और लोगों को आने जाने के लिए प्रदान की जा सके। वर्ष 1968 में इण्डियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा रेलवे लाईन से NH 18 सड़क के सम्पर्क के लिए तत्कालीन जमीन रैयतों से सम्पर्क कर, उनकी सहमति से, सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु रैयतों के संलग्न।

उर्पयुक्त जमीन रैयतों द्वारा तत्कालीन समय पर एक शपथ नामा के द्वारा इस बात की सहमति दी गई एवं कम्पनी से एग्रीमेंट किया गया कि वे (रैयतदार) अपनी जमीन स्वेच्छा बदले में तत्कालीन समय के बाजार मुल्य के बराबर प्रदत्त किए गए, जमीन के बदले मुआवजा द्वारा उनके (रैयतदार) आश्रितों को भी कम्पनी में नियमित नौकरी प्रदान की गयी है (प्रतिलिपि संलग्न)।

कम्पनी द्वारा किसी भूमि के उपयोग के बदले में दी जाने वाली सुविधा के मान्य नियमों का पालन किया गया यथा जमीन के उपयोग के अनुपातिक बाजार मुल्य का भुगतान किया गया। आश्रितों को नौकरी प्रदान कि गई इत्यादी। भूगि सुधार उपसमाहर्ता के कार्यालय द्वारा उक्त भूमि पर इसके रैयतों के उत्तराधिकारियों द्वारा जमीन वापसी के लिए आवेदन पत्र दिया गया है जिनके नाम और कैस सख्ता निम्नलिखित है :-

केस सं	आवेदक का नाम	पिता का नाम	खाता सं/प्लॉट सं	क्षेत्रफल
RP 1/19-20	Manoranjan Murmu	Lt. Bisoo Majhi	133/1288	02.10 डिसमिल
RP 2/19-20	Raghunath Hansda	Salai Hansda	74/444	03.04 डिसमिल
RP 3/19-20	Prasad Hansda	Sangram Hansda	235 & 236/1271 & 1272	04.20 डिसमिल
RP 4/19-20	Shanti Murmu	Sunaram Murmu	315/1300	00.84 डिसमिल
RP 5/19-20	Pitho Hansda	Lt. Chota Ramdas Hansda	70/443	01.86 डिसमिल
RP 6/19-20	Azad Murmu	Lt. Parbat Murmu	23/428	02.38 डिसमिल
RP 7/19-20	Pardipto Hansda	Chaitan Hansda	86/440	01.49 डिसमिल
RP 8/19-20	Gondra Hansda	Shriram Majhi	61/430	04.42 डिसमिल
RP 9/19-20	Muchiram Majhi	Kandra Majhi	94/445	02.08 डिसमिल
RP 10/19-20	Sukhlal Hembram	Magat Majhi	100/441	06.49 डिसमिल

Muf.

कम्पनी द्वारा उर्पयुक्त आवेदकों के रेकॉर्ड को जाँचा गया और यह पाया गया की कम्पनी के द्वारा इन से जमीन का सार्वजनिक परियोजनार्थ उपयोग हेतु एकरारनामा, क्षतिपुर्ति भुगतान एवं आश्रितों को कम्पनी में प्रदान किया गया था जिनका विवरण निम्नलिखित था।

1. केस सं0-02 / 19-20 आवेदक रघुनाथ हाँसदा, पिता- सलाय हाँसदा, खाता सं0 74 और प्लॉट सं0- 444 द्वारा पॉल्ट के 0.15 डिसमिल जमीन के लिए दावा किया गया है जो कम्पनी रिकॉर्ड में है और अंचल कार्यालय द्वारा भी उसे सत्यापित किया गया है।
2. केस सं0-03 / 19-20 आवेदक प्रसाद हाँसदा, पिता स्व० संग्राम हाँसदा, खाता सं0 235 एवं 236 और प्लॉट सं0 1271 एवं 1272 के 0.17 डिसमिल जमीन के लिए दावा किया गया है, जो कम्पनी रिकॉर्ड में है और अंचल कार्यालय द्वारा भी उसे सत्यापित किया गया है।
3. केस सं0-05 / 19-20 आवेदक पिथो हाँसदा, पिता स्व० छोटा रामदास हाँसदा, खाता सं0-70 (Record of CO Office 94) और प्लॉट सं0 443 के 12 डिसमिल जमीन के लिए दावा किया गया है, जो कम्पनी रिकॉर्ड में है और अंचल कार्यालय द्वारा भी उसे सत्यापित किया गया है।
4. केस सं0-06 / 19-20 आवेदक आजाद मुर्मू, पिता- स्व० पर्वत मुर्मू खाता सं0- 23 और प्लॉट सं0 - 428 के 0.07 डिसमिल जमीन के लिए दावा किया गया है जो कम्पनी रिकॉर्ड में है और अंचल कार्यालय द्वारा भी उसे सत्यापित किया गया है।
5. केस सं0-07 / 19-20 आवेदक प्रदीप्तो हाँसदा, पिता स्व० चयतन हाँसदा, खाता सं0 - 86 और प्लॉट सं0 - 440 के 0.10 डिसमिल जमीन के लिए दावा किया गया है जो कम्पनी रिकॉर्ड में है और अंचल कार्यालय द्वारा भी उसे सत्यापित किया गया है।
6. केस सं0-08 / 19-20 आवेदक गोदरा हाँसदा, पिता- स्व० श्रीराम माझी, खाता सं0 61 और प्लॉट सं0 - 430 के 0.08 डिसमिल जमीन के लिए दावा किया गया है जो कम्पनी रिकॉर्ड में है और अंचल कार्यालय द्वारा भी उसे सत्यापित किया गया है।
7. केस सं0-09 / 19-20 आवेदक मुचीराम माझी, पिता- स्व० कान्दरा माझी, खाता सं-94 और प्लॉट नं0 - 445 के 0.09 डिसमिल जमीन के लिए दावा किया गया है जो कम्पनी रिकॉर्ड में है और अंचल कार्यालय द्वारा भी उसे सत्यापित किया गया है।
8. केस सं0-10 / 19-20 आवेदक सुखलाल हेम्ब्रम, विता- स्व० मगत माझी, खाता सं0-100 और प्लॉट सं0 - 441 के 0.09 डिसमिल जमीन के लिए दाया किया गया है जो कम्पनी रिकॉर्ड में है और अंचल कार्यालय द्वारा भी उसे सत्यापित किया गया है।
9. केस सं0-01 / 19-20 आवेदक मनोरंजन मुर्मू, पिता- स्व० विसु माझी खाता सं0 133 और पॉल्ट सं0- 1288 का उपयोग सड़क के लिए नहीं किया जा रहा है, इसका सत्यापन न ही कम्पनी रेकॉर्ड में और न ही अंचल अधिकारी घाटशिला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में इसे सत्यापित किया गया है।
10. केस सं0-04 / 19-20 आवेदक शांती मुर्मू, पिता- स्व० सुनाराम मुर्मू खाता सं0 315 और प्लॉट सं0- 1300 के 0.84 डिसमिल (30x40) फीट जमीन के लिए दावा किया गया है जो कम्पनी रिकॉर्ड में है और अंचल कार्यालय द्वारा भी उसे सत्यापित नहीं किया गया है और यह बताया गया है, कि यह भूमि रैयती भूमि नहीं है और यह झारखण्ड सरकार के स्वामित्व में है।

क्रम संख्या 09 एवं 10 में क्रमशः केस सं0 01 / 19-20 और 04 / 19-20 में आवेदन किए गए जमीन के दस्तावेज गलत है।

महोदय, कम्पनी द्वारा क्रम सं0 01 से लेकर 08 तक दर्ज रैयतों से तत्कालीन समय के बाजार मुल्य पर उपयोग कि जाने वाली भूमि, के मुआवजे का भुगतान किया गया और उसके रैयतों के आश्रितों को कम्पनी में नौकरी प्रदान की गई जिसकी सूची सलग्न है, ये सभी आश्रित अपनी उम्र सीमा, 60 वर्ष तक, कम्पनी में नौकरी के दौरान कम्पनी से वेतन,

My

मकान एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त करते रहे हैं और अभी भी इन रैयतों के आश्रित, जिनको नौकरी प्रदान की गई थी और जो अपनी उम्र 60 वर्ष पुरा नहीं किए हैं वह अब भी कम्पनी में स्थायी नौकरी के सभी सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं।

महोदय, उर्पयुक्त जमीन पर उपयोग की जा रही सार्वजनिक सड़क वर्ष 1968 से अब तक सार्वजनिक प्रयोजनार्थ प्रयोग की जा रही है और इस सड़क का निर्माण मरम्मत देख रेख लोकप्रयोजनार्थ होने के नाते पथ निर्माण विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा की जा रही है। यह सड़क लगभग 50 वर्षों से आम लोगों के लिए उपयोग की जा रही है। इस सड़क का भारी वाहनों, छोटे वाहन और पैदल लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है इस सड़क पर कम्पनी का कार्य गौण हो गया है बल्कि यह सड़क आम जनता द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

रैयतों द्वारा भूमि उपयोग के बदले एक मुश्त राशि का भुगतान प्राप्त कर लेना और शपथ नामा द्वारा इसके बदले कोई दावा न करना के बाद भूमि वापसी का मांग न्याययोचित नहीं है भूमि उपयोग के बदले कम्पनी द्वारा रैयतों के आश्रितों को नौकरी और इससे जुड़े लाभ और राशि का उपभोग रैयतों द्वारा किया गया, जो उनके जमीन मुल्य से कई गुणा अधिक लाभ प्राप्त कर लिया गया है।

सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि के बदले रैयतों द्वारा लाभ प्राप्त कर लेने के बाद भूमि वापसी की बात गैरकानुनी है और यह लोकहित के विरुद्ध है और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना है।

महोदय,

इस संबंध में पत्रांक संख्या 10/डी.एल.ए. विविध (निति) 10/08-339/सा०, झारखण्ड सरकार, राजस्व, एवं भूमि सुधार विभाग, द्वारा श्री भरत राम, सरकार के अवर सचिव सड़क स्थायी हस्तान्तरण हेतु निर्देश जारी किए गए थे जिसमें यह बताया गया था। ऐसी भूमि जिसका 30 वर्षों से सार्वजनिक उपयोग किया जा रहा है, वैसे रैयती भूमि के दखलदार रैयत अपना दावा नहीं कर सकते (पत्र संलग्न)।

महोदय,

आपसे नम्र निवेदन है, कि उर्पयुक्त केस में भू-वापसी का आवेदन निरस्त किया जाए और रैयतों द्वारा उर्पयुक्त भूमि का सार्वजनिक सड़क का उपयोग की जिम्मेदारी पथ निर्माण झारखण्ड सरकार को प्रदान की जाए।

निष्कर्ष :- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क को सुना तथा अभिलेखबद्ध कागजातों तथा अंचल अधिकारी, घाटशिला के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जमशेदपुर के पत्रांक- 127/जमशेदपुर, दिनांक- 22.01.2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्र में संलग्न पत्र जो अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- प०पि०वि०/विविध-6-28/07, 3986 (S), दिनांक-08.08.2019 में वर्णित है :- ग्रामीण कार्य विभाग अथवा अन्य विभागों से पथ हस्तान्तरण की प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त पाँच निर्माण विभाग द्वारा पूर्व के Existing ROW पर पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण की योजना सम्पन्न की जा रही है। कतिपय मामलों में ऐसे दृष्टांत आए हैं कि पूर्व के ROW में अवस्थित रैयती भूमि के भू-अर्जन प्रस्ताव के अनुरूप राशि की अधियाचना विभाग से की जा रही है।

विदित हो कि ग्रामीण सड़कों का निर्माण पूर्व में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा नक्शा में दर्शाए गए सड़क मार्ग से कराया गया है और पूर्व की इन योजनाओं में भू-अर्जन की कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं था। पथ हस्तान्तरण के उपरान्त यदि संबंधित रैयतों के

My

द्वारा मुआवजा भुगतान के संबंध में किए गए दावा के अंतर्गत यदि भू-अर्जन की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो हस्तांतरित किए गए अनेकानेक पथ के अंतर्गत राज्य सरकार को भारी वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ सकता है। सदृश्य मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No (S) 8393/2017 में दिनांक 09.07.2017 को पारित न्यायादेश में भी उल्लेख किया गया है कि 25 वर्षों की लंबी अवधि बीत जाने के उपरांत भू-अर्जन मामले में निर्णय देना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः वर्णित स्थिति में निदेश दिया जाता है कि पथ निर्माण विभाग द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग अथवा अन्य विभागों से पथ निर्माण के पश्चात पूर्व ROW की किसी दायित्व से मुक्त मानकर इस पर किसी प्रकार के भू-अर्जन की कार्रवाई और तदनुसार संबंधित राशि का भुगतान नियमानुसार मान्य नहीं होगा। पूर्व के ROW से अतिरिक्त ROW होने पर ही विधिवत भू-अर्जन और उसमें निहित समुचित राशि की अधियाचना की जाए। इसका दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने, अंचल अधिकारी, घाटशिला से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अभिलेखबद्ध कागजातों को अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि मौजा- मऊभण्डार, थाना नं- 86, खाता नं- 86, प्लॉट नं- 440, रकवा-0.11 ए0 पर द्वितीय पक्ष द्वारा दावा के विरुद्ध भुगतेय राशि, रोजगार एवं अन्य सुविधाएं एच०सी०एल०/आई०सी०सी० कम्पनी द्वारा भूमि के दावेदारों को उपलब्ध करा दी गयी है। उभय पक्ष के द्वारा समर्पित **Humble Petition and Show Cause/Written Argument** के साथ-साथ **List of Documents** तथा अंचल अधिकारी, घाटशिला के प्रतिवेदन को अवलोकन के उपरान्त न्यायालय इस नतीजे पर पहुँची है कि प्रश्नगत भूमि मौजा- मऊभण्डार, थाना नं- 86, खाता नं- 86, प्लॉट नं- 440, रकवा-0.11 ए0 द्वितीय पक्ष 01. प्रबंधक, एच०सी०एल०/आई०सी०सी०, लिमिटेड मऊभण्डार, घाटशिला एवं 02. कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, जमशेदपुर प्रश्नगत भूमि पर दखल में है, एवं लोकहित में आम जनता एवं परिवहन के आवागमन हेतु पक्की सड़क निर्मित है, जो कि मऊभण्डार स्थे NH18 फुलपाल को जोड़ती है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए भू-वापसी वाद में प्रथम पक्ष के आवेदन को खारिज (Reject) किया जाता है।

उभय पक्ष चाहें तो इस आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील कर सकते हैं।

विधि-व्यवरथा एवं अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण आदेश आज पारित किया गया।

लेखापित एवं संशोधित

Utpal
भूमि सुधार उपसमाहता,
घाटशिला।

Utpal
भूमि सुधार उपसमाहता,
घाटशिला।